तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रकरण संख्या 59 / 2019 संजू देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
.09.2019	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई । प्रार्थीगण ने एक आवेदन पत्र खाता दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 राज. भू अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सीतसर पटवार आबुसर तहत तहसील झुन्झुनू में नया खाता संख्या 109(पुराना 101) में स्थित इस भूमि के वर्तमान खसरा न0 12 रकबा 1.0000 हैक्टर में आवेदकगण का निवास स्थान लालपूर दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर आवेदकगण का निवास स्थान ग्राम सीतसर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत जांच रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू से ली गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्र कमांक / 2019 / 1628 दिनांक 13.08.2019 को पेश की गई जिसके अनुसार ग्राम सीतसर की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 109 में प्रार्थीगण को सा. लालपुर बताया गया है। जबकि खातेदार के निवास स्थान सीतसर में जांच करने पर पाया गया है कि प्रार्थी ग्राम सीतसर का ही मूल निवासी है प्राथीगण के दस्तावेजों में भी प्रार्थीगण का निवास स्थान सीतसर की दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम सीतसर में ही खाता संख्या 76 दर्ज रिकोर्ड है। जिसमें भी निवासी सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का निवास स्थान लालपुर की जगह सीतसर किया जाना अंकित है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–2077का व जांच रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः –:आदेशः– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सीतसर पटवार हल्का आबुसर तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 109 में वर्तमान में दर्ज अशुद्व अकंन को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।	

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ट (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश शुद्व प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
सीतसर	109	लालपुर	सीतसर

तहसीलदार झुन्झुनू को ओदश की प्रति भेजकर लेख है कि आप उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश ... गया।

उपखण्ड अधिकारी